पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, मोथरोवाला, देहरादून।

विज्ञप्ति संख्या : 6001/स्था0एक/वै0फा0–भर्ती/2018–19 दिनांक 02 मार्च, 2019

''विज्ञप्ति''

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राजकीय पशुचिकित्सालयों में पशुचिकित्सा फार्मासिस्ट, वेतन लेवल–6 (35400–112400) के रिक्त 18 पदों पर चयन हेतु निर्धारित अर्हता/योग्यताधारी अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। सीधी भर्ती के पदों का विवरण निम्नवत है :–

पदनाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
पशुचिकित्सा फार्मासिस्ट	18	10	04 (बैकलॉग सहित)	—	03 (बैकलॉग सहित)	01

नोट :– रिक्तियों की संख्या घट/बढ़ सकती है।

1— **शैक्षिक योग्यताः–(क).** उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् से विज्ञान विषय के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। इसके अतिरिक्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया के एजुकेशन रेगुलेशन 1991 फॉर डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी (एजुकेशन संशोधन रेगुलेशन्स,1994 द्वारा संशोधित) के उत्तराखण्ड राज्य में लागू होने से पूर्व के हाईस्कूल योग्यताधारक भी अर्ह होंगे।

ख. अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी (एलोपैथी) में डिप्लोमाधारक होना चाहिए।

2— **अन्य अनिवार्य अर्हताएंः–** आवेदन हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित अर्हताएं भी पूर्ण करनी अनिवार्य हैं :–

(क). आवेदन के समय अभ्यर्थी को रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड फार्मेसी काउन्सिल में पंजीकृत होना आवश्यक है।

(ख). अभ्यर्थी को आवेदन के समय उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक है।

(ग). आवेदन हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त की हो.

परन्तु

यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवऐं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानान्तरित नहीं हो सकती हों तथा राज्य से स्थायी निवासी जो आजीविका हेतु राज्य के बाहर निवासरत हैं, स्वयं तथा इनके पुत्र/पुत्री आवेदन हेतु पात्र होंगे।

3— **अधिमानी अर्हताः–** अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने :–

(क)–राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र'' प्राप्त किया हो या

(ख)– प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष का सेवा अनुभव हो।

अधिमानी अर्हता भी समान होने पर सम्बन्धित अभ्यर्थियों की जन्मतिथि, जो पहले हो उसको प्रवीणता सूची में ऊपर रखा जोयगा ।

4— **आरक्षण– ऊर्ध्व आरक्षण** :– उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुसार ऊर्ध्व आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

क्षैतिज आरक्षणः– क्षैतिज आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्राविधानों/शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा। आरक्षण हेतु संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण की प्रमाणित छायाप्रति सलंग्न की जानी आवश्यक होगी।

5— **राष्ट्रीयताः–**

(क). अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या

(ख). तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी,1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग). भारतीय उदभव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत से स्थाई निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, उगान्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) के किसी पूर्व अफ्रीकी देश से प्रर्वजन किया हो,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख), (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार के द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक समय के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त के साथ रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

6— **आयुः—** 01 जुलाई, 2018 को न्यूनतम **18** वर्ष तथा अधिकतम **42** वर्ष होनी चाहिए। उत्तराखण्ड राज्य के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी।

7— **शारीरिक स्वस्थता—** किसी अभ्यर्थी को सेवा मे तभी नियुक्त किया जायेगा, जब वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। चयनित होने पर अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/समकक्ष चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थता प्रमाण निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8— **शुल्कः—** उत्तराखण्ड राज्य के अनु0जाति/अनु0जनजाति के अभ्यर्थियों को **रू0 150.00 (एक सौ पचास रूपये मात्र)** तथा अन्य सभी सामान्य श्रेणी/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को **रू0 300.00 (तीन सौ रूपये मात्र)** का भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत **अरेखाकिंत बैक ड्राफ्ट**, जो **निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड** के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा देहरादून में देय हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफ्ट के अभाव में आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा।

9— **आवेदन की अन्तिम तिथिः** आवेदन पत्र केवल रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, ''प्रशासनिक भवन'' मोथरोवाला, पो0 आफिस—मोथरोवाला, देहरादून के कार्यालय में दिनांक **03 अप्रैल, 2019 (सांय 5.00 बजे)** तक स्वीकार किये जायेगे, अन्य माध्यमों से एवं उक्त निर्धारित तिथि/समय के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें, आवेदन के लिफाफे के शीर्ष भाग पर **''पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट के पद हेतु आवेदन पत्र''** अंकित किया जाय।

10— **अभ्यर्थियों का चयनः**—उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट सेवानियमावली, 2010 एवं उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट सेवा (संशोधन) नियमावली, 2011 के प्राविधानों के अनुसार चयन किया जायेगा। उक्त प्राविधानों के अनुसार चयन समिति, अभ्यर्थियों की योग्यताक्रम में जैसा कि डिप्लोमा परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची अभ्यर्थियों के डिप्लोमा परीक्षा के उत्तीर्ण वर्षवार तैयार करेगी। पूर्ववर्ती वर्ष की प्रवीणता सूची पूर्णतः निःशेष हो जाने के बाद ही उत्तरवर्ती वर्ष की प्रवीणता सूची से चयन प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया सम्पूर्ण रिक्तियां भरने तक अनवरत रूप से जारी रहेगी।

11— सामान्य निर्देशः—

(1). आवेदन **ए—4 साईज** के पेपर पर किया जायेगा, आवेदन पत्र का प्रारूप पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड की वैबसाइट "**www.ahduk.org**" से भी डाउनलोड किया जा सकता है। अपूर्ण/अस्पष्ट एंव समाचार पत्रों की कटिंग पर प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं कोई सलंग्नक गलत/अपूर्ण पाये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(2). आवेदन पर नवीनतम प्रमाणित पासपोर्ट साइज की फोटो अवश्य लगायें, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

(3). आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा अपना पता लिखे रू0 **30.00 (रू0 तीस)** के डाक टिकट लगे दो लिफाफे (**10 X 23** से0मी0 आकार के) संलग्न करने आवश्यक हैं।

(4). आवेदन पत्र के साथ आवेदक अपने शैक्षिक/प्राविधिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों एवं समस्त अंकतालिकाओं, अधिमानी अर्हता, जन्मतिथि, आरक्षण संबंधी एवं उत्तराखण्ड फार्मेसी काउंसिल में पंजीकरण एंव उत्तराखण्ड राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संबंधी प्रमाणपत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियॉ सलंग्न करना अनिवार्य है।

(5). आवेदन पत्र के साथ **उत्तराखण्ड फार्मेसी काउन्सिल में पंजीकरण सम्बन्धी वैध प्रमाण पत्र (नवीनीकरण की दशा मे भी पंजीकरण आवेदन की तिथि को वैध होना चाहिए)** की प्रमाणित छायाप्रति अवश्य सलंग्न करें तथा आवेदन में पंजीकरण का नम्बर एवं दिनांक अंकित किया जाय, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(6). आवेदन पत्र के साथ आवेदक, **उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संबंधी वैध प्रमाण पत्र (नवीनीकरण की दशा मे भी पंजीकरण आवेदन की तिथि को वैध होना चाहिए)** की प्रमाणित छायाप्रति अवश्य सलंग्न करें तथा आवेदन में पंजीकरण कार्यालय का नाम एवं पंजीकरण नम्बर अवश्य अंकित किया जाय। अन्यथा अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा ।

(7). राजकीय सेवा में सेवारत अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से प्रेषित किया जायेगा तथा आवेदन पत्र के साथ नियुक्ति अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र भी सलंग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

(8).अभ्यर्थी की अर्हता/पात्रता के संबंध में निदेशक, पशुपालन,उत्तराखण्ड/चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

निदेशक,
पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।

''पशुचिकित्सा फार्मासिस्ट के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप''

विभाग का नाम : पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड,   पदनाम : पशुचिकित्सा फार्मासिस्ट,   विज्ञप्ति सं0................/दि0....................

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का पासपोर्ट साईज का नवीनतम एंव प्रमाणित फोटो चिपकायें। प्रमाणित इस प्रकार किया जाए कि हस्ताक्षर/मोहर का आधा भाग फोटो पर एंव आधा भाग आवेदन पर हो।

1. अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम
   अ. हिन्दी में (देवनागरी लिपि में) --
   ब. अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में --
2. पिता/पति का नाम
   अ. हिन्दी में (देवनागरी लिपि में) --
   ब. अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में --
3. अभ्यर्थी की जन्मतिथि (हाई स्कूल/हायर सैकेण्डरी प्रमाण पत्र के अनुसार)
   अ. अंको में : तिथि [ ] माह [ ] वर्ष [ ]
   ब. शब्दों में : --
4. अ. गृह जनपद का नाम --
   ब. स्थाई पता. --
   स. पत्र व्यवहार का पता --
   -- पिन कोड -----------
   द. टेलीफोन नं0 (एस.टी.डी. कोड सहित)/मोबाईल नं0 (यदि हो) ----------------------------
5. अभ्यर्थी की श्रेणी (गोला बनाकर अंकित करें) (उत्तराखण्ड अनु0जाति/अनु0 जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य)
6. क्षैतिज आरक्षण का प्रकार (गोला बनाकर अंकित करें) (उत्तराखण्ड महिला/स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित/भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से विकलांग (केवल पी०बी०/पी०डी०)।
7. लिंग (गोला बनाकर अंकित करें) (पुरूष/महिला)   (9) नागरिकता...
8. शैक्षिक/प्राविधिक अर्हताओं का क्रमवार विवरणः–

क0 स0	परीक्षा का नाम	बोर्ड/संस्था/ विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत्
1.	हाईस्कूल						
2.	इण्टरमीडिएट						
3.	फार्मेसी(एलोपैथी)डिप्लोमा (उत्तीर्ण वर्ष के अनुसार)						
4							
5							

(शैक्षिक/प्राविधिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों एंव समस्त अंकतालिकाएँ, अधिमानी अर्हता, जन्ममिथि, आरक्षण संबंधी, उत्तराखण्ड फार्मेसी काउंसिल में पंजीकरण एंव उत्तराखण्ड राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियॉं सलंग्न करना अनिवार्य है)

9. अधिमानी अर्हता --
10. उत्तराखण्ड फार्मेसी काउंसिल में पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) का नम्बर ------------------------ तिथि ----------------
11. राज्य के सेवायोजन कार्यालय (जहां पंजीकरण किया गया है) का नाम ------------------ पंजी0सं0/तिथ --------------
12. आवेदन शुल्क का विवरण
    - बैंक ड्राफ्ट का विवरण अंकित करें :–

बैंक का ड्राफ्ट का नम्बर एंव दिनांक	जारी कर्ता बैंक का नाम, स्थान, जनपद सहित	धनराशि

सामान्य निर्देशः–

(1). आवेदन ए–4 साइज के फोटोस्टेट पेपर पर स्वच्छ एंव स्पष्ट अक्षरों में अभ्यर्थी द्वारा स्वंय भरा जाय ।
(2) राजकीय या अर्धसरकारी सेवा में कार्यरत कार्मिक अपना आवेदन उचित माध्यम से (नियुक्ति अधिकारी के अनापत्ति प्रमाणपत्र सहित) सलंग्न करें।
(2). क्या आपको कभी किसी सरकारी/अर्धसरकारी सेवा से डिबार किया गया हैं ? **(हां / नहीं)**
(3). क्या आपको कभी किसी सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है ? **(हां / नहीं)**

''घोषणा''

मैं एतदद्वारा घोषित करता/करती हूं कि उपरोक्त उल्लिखित सूचनायें सत्य हैं। मैंने विज्ञापित सभी पात्रता शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ा हैं। मैंने प्रस्तुत विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत, असत्य पायी जाये, तो मेरे विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही किये जाने/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने या नियुक्ति के उपरान्त सेवा समाप्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके लिए मैं स्वयं पूर्णरूप से उत्तरदायी रहुंगा/रहूंगी।

सलंग्नकों की कुल संख्या (   ) एंव विवरण :–

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

अभ्यर्थी का नाम ------------------------------

दिनांक : -------------- स्थान : ---------------

1.	2.
3.	4.
5.	6.
7.	8.
9.	10.
11.	12.
13.	14.

पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, मोथरोवाला, देहरादून।

विज्ञप्ति संख्या : 6001/स्था0एक/वै0फा0–भर्ती/2018–19 दिनांक 02 मार्च, 2019

"विज्ञप्ति"

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राजकीय पशुचिकित्सालयों में पशुचिकित्सा फार्मासिस्ट, वेतन लेवल–6 (35400–112400) के रिक्त 18 पदों पर चयन हेतु निर्धारित अर्हता/योग्यताधारी अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। सीधी भर्ती के पदों का विवरण निम्नवत है :–

पदनाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
पशुचिकित्सा फार्मासिस्ट	18	10	04 (बैकलॉग सहित)	–	03 (बैकलॉग सहित)	01

नोट :– रिक्तियों की संख्या घट/बढ़ सकती है।

इस सम्बन्ध में विस्तृत विज्ञापन/शुल्क का विवरण/आवश्यक दिशा–निर्देश तथा आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट www.ahd.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र निदेशालय पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून में दिनांक 03 अप्रैल, 2019 तक (सांय 05 बजे तक) प्राप्त होना अनिवार्य है।

निदेशक,
पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड